



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ 1943 (श०)

(सं० पटना 42) पटना, शुक्रवार, 28 जनवरी 2022

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी 2022

एस० ओ० 71, दिनांक 25 जनवरी 2022—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली—1978 के नियम—17 (1) को निम्न रूप से संशोधित किया जायेगा :—

“ 17. (1) धारा 15 और 16 के अधीन अनुज्ञाप्तियों के दिये या स्वीकृत किये जाने के लिए देय फीसें निम्नलिखित होंगी :—

(1) कारखाने की अधिभोगी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञाप्ति देने के लिए 50,000/- रुपये।

(2) किसी कारखाने से संबंधित अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए 50,000/- रुपये।

(3) किसी यूनिट के स्वामी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञाप्ति देने के लिए 2,000/-रुपये।

(4) यूनिट से संबंधित अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए 2,000/-रुपये। ”

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

(सं० 02 / रेगु०-06-600-1 / 2021-90)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० एन० सरवण कुमार,

सचिव।

Sugarcane Industries Department**Notification***The 25th January 2022*

S.O. 71, dated 28th January 2022—Rule-17(1) of the Bihar Cane (Regulation of Supply and Purchase) Rule, 1978 will be amended as follows:-

“17. (1) The fees payable for the grant or grant of licenses under section 15 and 16 shall be as follows:-

- (1) for grant of first license under these rules to the occupier of the factory 50,000/-.
- (2) for renewal of license in respect of a factory 50,000/-.
- (3) for grant of first license under these rules to the owner of a unit Rs.2000/-.
- (4) Rs.2000/- for renewal of license in respect of the unit.”

2. This notification will be effective from the date of issue.

(No. 02/Regu-06-600-1/2021-90)

By order of the Governor of Bihar

Dr. N. Saravana Kumar,

Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 42-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>